तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/590/2006/चुरू सरकार बनाम मु0 नारायणी(मृतक)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2023	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित–** श्री करण गुर्जर, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अप्रार्थीगण के। **निर्णय** यह रेफरेन्स अति0 कलेक्टर, चुरू के द्वारा अंतर्गत के द्वारा अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 31–12–2005 से राजस्व मण्डल में प्रेषित किया गया है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्रम सुलखनिया की खसरा नं0 333 रकबा 3 बीघा, ख0न0 490 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि मु0 नारायणी बेवा गौरूराम जाति ब्रहम्ण के नाम जमाबंदी संवत 2039–2043 में रिकाडेर्ड खातेदार दर्ज है। मु0 नारायणी के लाऔलाद फौत होने पर तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 61 के तहत एक आम ईस्तहार सार्वजनिक 60 दिवस का इस आशय का जारी किया कि खातेदार मु0 नारायणी की कुल भूमि रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि का भू–स्वामी अपनी भूमि छोडकर लाऔलाद फौत हो गया है। अगर खातेदार का दावेदार हो 60 दिवस में अपना उज्र पेश करे। तत्पश्चात दिनांक 08.04.85 को रामेश्वर तथाकथित खोलायत पुत्र मु0नारायणी ने नोटिस का जबाव पेश करते हुये अपने आपको मु0 नारायणी का खोलायत पुत्र होना बताया और कहा कि मु0 नारायणी की जायदाद पर मै ही काबिज हूँ अन्य कोई जायज वारिस व कायम मुकाम नहीं है। इसलिए प्रार्थी को मु0 नारायणी की कृषि भूमि की खातेदारी प्रदान की जावे। इस बाबत उसने उप सरपंच व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/590/2006/चुरू सरकार बनाम मु0 नारायणी(मृतक)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पांच अन्य व्यक्तियों का प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की। यह प्रमाण पत्र किसी न्यायालय अथवा सक्षम अधिकारी से प्रमाणित नहीं था। इसी प्रमाण पत्र को आधार बनाकर तहसीलदान ने अपने आदेश दिनांक 23.5.85 से उसे खातेदारी प्रदान कर दी गयी एवं उक्त आधार पर उसके नाम नामांतरकरण संख्या 300 दिनांक 27.05.85 दर्ज कर दी गयी। तत्पश्चात समय–समय पर भूमि का बेचान होता चला गया एवं नामांतरकरण स्वीकृत होते चले गये। अतः उक्त विवादित आराजी बाबत स्वीकृत खातेदारी व नामांतरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाई जाकर विवादित आराजी को राजगामी सम्पत्ति घोषित की जावे। विद्वान अति0 जिला कलक्टर, ने जरिये निदेशक, भू0 अभिलेख, राजस्व मंडल, अजमेर के माध्यम से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र भिजवाये जाने की अनुशंषा की। रेफरेन्स पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, चूरू ने यह रेफरेन्स निदेशक, भू अभिलेख, राजस्व मंडल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित किया है। परन्तु प्रकरण सीधे ही बैंच में नियत किया जाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष निर्णय किये जाने हेतु पेश हुआ है। न्यायाल अति0 जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि – ''उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को निदेशक महोदय के माध्यम से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र भिजवाया जावे। प्रकरण में आगामी तारीख दिनांक 31..01.06 नियत करते हुये अप्रार्थीगण को नोटिस मय निर्णय की प्रति भेजा जावे। बाद तामील नोटिस शामिल करते हुये पत्रावली मय अभिलेख निदेशक, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रस्तुत करने हेतु राजकीय अभिभाषक को भिजवाई जावे।''	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/590/2006/चुरू सरकार बनाम मु0 नारायणी(मृतक)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, चूरू के द्वारा अपने निर्णय के अंतिम पैरा में यह स्पष्ट वर्णित है कि रेफरेन्स को भू0अभिलेख निदेशक, राजस्व मण्डल अजमेर के माध्यम से भिजवाया जावे। परंतु इस रेफरेंस के संबंध में यह अपेक्षित परीक्षण एवं पालना पूर्ण नहीं की गई है। इसलिए यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र हम भू0 अभिलेख निदेशक, राजस्व मण्डल अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वह इस रेफरेन्स प्रकरण में उभयपक्ष की सुनवाई करते हुये प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर संपूर्ण विवेचन व विश्लेषण करने के पश्चात अपना विधिसम्मत आदेश प्रदान करते हुये अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। रेफरेन्स प्रकरण उक्तानुसार निर्णित किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	